छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के शिक्षण विभाग के पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

//अधिसूचना//

सत्र 2025–26

क्र/छगस्वावितविवि/अका./2025/ 2792 भिलाई–नेवई,दिनांक 23/5/25

पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम मे प्रवेश के लिए स्नातक (Engineering/ Technology/ Science Stream) उत्तीर्ण होने चाहिए।

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग द्वारा संचालित पाठ्क्रम में कुल सीटों की संख्या, प्रायोजित सीटों की संख्या एवं छ.ग. कोटा की संख्या निम्नानुसार है :–

तालिका - 1

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	कुल प्रवेश क्षमता	C.G.कोटा की संख्या	प्रायोजित कोटा की संख्या
1	PG Diploma in Industrial Safety and Fire Safety Management	30	22	8

- छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (C.G. Quota) :– इस कोटा के अंतर्गत छ.ग. के मूल निवासी छात्रों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। छ.ग. राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है।

- प्रायोजित कोटा (Sponsored Quota) में केवल प्रायोजित अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकता है। निवास का बंधन नही है।

प्रायोजित अभ्यर्थी (Sponsored candidate) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जो राज्य शासन/केन्द्र शासन/ किसी पंजीकृत कम्पनी/संस्था में पूर्ण कालिक अथवा संविदा पर कम से कम **1 वर्ष** से नियोजित है तथा जिसे नियोक्ता/प्राधिकारित अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा अध्ययन करने हेतु अनुमति दिया गया है।

नोट :

(1) प्रायोजित सीटें नहीं भरने पर इसे अप्रायोजित अभ्यार्थियों के माध्यम से भरा जा सकेगा।उसी प्रकार यदि सामान्य अप्रायोजित अभ्यर्थियों के माध्यम से सीटें नहीं भरती है, तो उसे प्रायोजित अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

(2) प्रायोजित एवं अप्रायोजित कोटे में प्रवेश के पश्चात् भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो इसे अन्य राज्य के अभ्यार्थियों द्वारा भरा जा सकता है।

1. सीटों का आरक्षण :-

तालिका 1 में वर्णित PG Diploma पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता हेतु संबंधित डिग्री पाठ्यक्रम के ब्रांच का नाम
1	PG Diploma in Industrial Safety and Fire Safety Management	Bachelor's Degree in Engineering/ Technology/Science stream

3. **PG Diploma** पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता हेतु उम्मीद्वार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से उपरोक्त संबंधित उपाधि में अनारक्षित वर्ग के लिए कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांको एंव छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ST,SC,OBC) के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 49.5% या इससे ऊपर को 50% तथा 44.5% या उससे उपर को 45%मान्य किया जावेगा।

टीप :-

- बी.ई. के समकक्ष उपाधि जैसे MHRD से मान्यता प्राप्त संस्था से मान्यता प्राप्त AMIE आदि उपाधि को भी प्रवेश हेतु पात्र माना जाएगा।
- AICTE की नीति के अनुसार दूरस्थ शिक्षा से इंजीनियरिंग (Engineering/ Technology) उपाधि धारी अभ्यार्थी भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।परन्तु ऐसे अभ्यार्थियो को अपने स्टडी सेंटर का UGC/AICTE / केन्द्र/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त होने का दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत मान्यता पत्र मान्य नहीं होगा।

4. शिक्षण शुल्क :-

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क **30,000/-(रू तीस हजार मात्र)** प्रति सेमेस्टर है। प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्क, शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त देय होगा।

5 आवेदन की तिथि एवं आवेदन शुल्क :-

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग द्वारा संचालित पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए **Online** आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.csvtu.ac.in में उपलब्ध है।आवेदन पत्र भरने

की अंतिम तिथि **30th June 2025** निर्धारित की गई है।आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क की राशि रूपये 500/–आवेदन शुल्क Online/ UPI के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।

6 आयुसीमा :–

आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है ।

7. प्रवेश हेतु चयन पद्धति :–

- पीजी डिप्लोमा में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश Engineering/ Technology/ Science Stream में स्नातक के प्राप्तांको के आधार पर होगा।
- अर्हकारी परीक्षा में समान प्राप्तांक होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी |

कुलसचिव
छगस्वावितविवि, भिलाई
REGISTRAR
CSVTU, BHILAI (C.G.)

Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai (CG)

University Teaching Department

PG Diploma course seat distribution

Chhattisgarh Quota : 22 seats

Sponsorship Quota : 08 seats

As per the reservation rule of CHHATTISGARH Government, the category wise seat distribution of **22 seats** are as follows:

Sr. N.	Category	`Total	Seats		
			Open	Female	PWD
1.	Unreserved	09	07	02	00
2.	OBC	03	03	00	00
3.	SC	03	03	00	00
4.	ST	07	05	02	00